संख्याः 3634/VII-II-10/98–उद्योग/2006

प्रेषक,

एम0 सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2010

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु औद्योगिक मेले–प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–3603/उ0नि0(दो)–11/मे.प्र./बजट–मांग/2010–11 दिनांक 20 सितम्बर 2010 तथा शासनादेश संख्याः1467/VII-II-10/98–उद्योग/2006 दिनांक 21जून, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में औद्योगिक मेले–प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार योजनान्तर्गत अवशेष **रू0 110.00 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र)** की धनराशि इस शर्त के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण मेला आयोजन के समय यथा आवश्यकता पर ही किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2011 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2011 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– यदि स्वीकृत धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो नियमानुसार सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी। फर्नीचर/उपकरण आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

6– विभिन्न मेले, प्रदर्शनियों आदि के लिए शासन अथवा सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही आवश्यक धनराशि का व्यय किया जायेगा तथा संबंधित मेले, प्रदर्शनियों के आयोजन के उपरान्त उसकी वित्तीय उपयोगिता का मदवार विवरण तथा मूल्यांकन रिपोर्ट शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय, 04–औद्योगिक मेले–प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–00, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्याः 528/XXVII(2)/2010 दिनांकः09 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0 सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 3634 (1)/VII-II-10/98–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एम0 सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।